19/2/21 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनु०/न्यायालय के पुकारे जाने पर ना तो वादी ना ही वकील वादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये। अत: वाद वादी अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार पूर्ति पश्चात होकर नत्थक जमा हो।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.11 16:11:06 IST
Reason: SelfAttested